

Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

श्रीमति के. डी. वजी बनाम अनना 1/2 गोपाल सिंह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 31 सन् **2017**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिजिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
6/7/17	<p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत <u>53, 188</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रार हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/4/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p> <p><i>पत्रावली का अर्थ है कि वकील वादी उपरोक्त प्रतिवादीगण को 6 की डायरी से श्री उपखण्ड अधिकारी के पास पत्रावली पेश करी है। पत्रावली का अर्थ है कि 6 धारा 53, 188 का अर्थ है कि पत्रावली का अर्थ है कि 25/7/17 को पेश हो।</i></p> <p>राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर गले, जाली के निर्देशानुसार पत्रावली आयन्दा केम लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय <u>मारवाड़ जंक्शन</u> दिनांक <u>3/8/17</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p> <p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत (न्याय अर्थ) 2018 ग्राम पंचायत मुख्यालय <u>मारवाड़ जंक्शन</u> हुई। समस्त पत्रावली उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित पत्रावली को बाद राजस्व लोक अदालत का निर्धारण ही हो सका जो पत्रावली पुनः मुख्यालय में अर्थ दिनांक <u>13/8/17</u> को पेश हो।</p>	<p>नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए</p>

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए।

20/8/19

पतावली पेश हुई
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्व कार्य से व्यस्त है/अपस्थित पर है/
बेठक से पधारें हुऐ है/अपस्थित पर है
अतः पतावली आव-दा
दिनांक 6/8/19 को पेश हो।

Handwritten signature

रिडर
उप अन्व अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
भारवाड़ संवर्ग

6/8/19

पतावली पेश हुई
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्व कार्य से व्यस्त है/अपस्थित पर है/
बेठक से पधारें हुऐ है/अपस्थित पर है
अतः पतावली आव-दा
दिनांक 1/10/19 को पेश हो।

Handwritten signature

रिडर
उप अन्व अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
भारवाड़ संवर्ग

पतावली आज पेश हुई वसुधा अन्व
वकील वारी को लवणी अंतिम अवसर दिया
जाता है कि वे शेष प्रतिवादी के लदी नाम एवं
पता मय PIF लम्बत पेश कर अ-मया अंतिम
कार्यवाही अमल में ली जावेगी। पतावली की आदिनांक
के अवलोकन के तए पाया गया कि फल में प्रति.
नं. 3,4,5 की तरफ से पता ली गई लेकिन लदी
आवाकता की तदर्थक नहीं पाई गई। वकील
वारी फल PIF लम्बत पेश कर अ-मया अंतिम
कार्यवाही अमल में ली जावेगी। पतावली वारी
इ-तबार लाली लवणी अंतिम दिनांक 22/8/19
को पेश हो।

Handwritten signature
मजिस्ट्रेट

22/8/19

पतावली आज पेश हुई वकील वारी अन्व
वकील प्रति नं. 6 उक्त। वकील वारी को दिनांक
11/8/19 को PIF लम्बत शेष प्रतिवादी के पेश
करने हेतु लवणी अंतिम अवसर दिया जा चुका
है किन्तु आवेश की पालना में आदिनांक तब
PIF लम्बत पेश नहीं किया। PIF लम्बत पेश

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
का तामिल

होने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाती
 लम्बव नहीं। अतः दस्तावेज प्रकरण को
 वाही अधिवक्ता एवं स्वयं वाही की अनुपस्थिति
 तथा PIA लम्बव प्रशासन के अभाव में
 CPC के अन्तर्गत O-9-R-5 तथा O-9-R-8
 के तहत खरीज किया जाता है। साथ ही
 न्यायालय के लक्ष्मी में आया कि दस्तावेज
 प्रकरण के लम्बव में न्यायिक प्रसन्न हेतु
 अथवा वद अथवा न्यायिक अथवा न्यायिक
 जलना-को जो कि दिनांक 19/7/18
 को पुनः Restored (नया प्रती गरी)
 जिसमें प्रसन्न दस्तावेज प्रकरण के
 प्रसन्न समान है। अतः उक्त प्रकरण प्रती
 अथवा जलना में नियमावली तामिल
 के प्रसन्न प्रसन्न की तरफ से प्रती के
 लम्बव है। दस्तावेज प्रकरण को खरीज किया
 जाकर मिशन के अन्तर्गत प्रमाण प्रमाण के
 लम्बव है।

निर्णय आज दिनांक 27/7/18 को न्यायालय में
 प्रमाण गमा
 प्रमाण प्रमाण
 प्रमाण

